जलागम विकास में लाभों के बटवारा द्वारा गरीब वर्ग का सशक्तिकरण

अमित चौधरी एवं देबाशीष सेन

भूमिका

भारत में तेजी से घट रही प्राकृतिक सम्पदाओं का कारण है देश की बढ़ती जनसंख्या तथा उनकी बढ़ती हुई जमीन पर निर्भरता। 1952 से 1981 तक के बीच भारत में खेती योग्य भूमि 0.48 है./व्यक्ति से घट कर 0.20 है./व्यक्ति हो गई है।

भूमि जो हमारी जीविका का मूल आधार है, दिनों दिन तेजी से नष्ट होती जा रही है। अगर पानी की उपलब्धता पर ध्यान दे तो भारत को प्रतिवर्ष 42 करोड़ हेक्टर मीटर पानी उपलब्ध होता है। मगर पेड़ पौधों तथा जमीन के उचित प्रबन्धन के अभाव में इसमें से लगभग 27% पानी सतही बहाव के रूप में बह कर निकल जाता है और अपने साथ हर वर्ष 5500 करोड़ टन सतही उपजाऊ मिट्टी बहा कर ले जाता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है और जमीन की उत्पादकता क्रमशः घटती जा रही है। वर्तमान में भारतवर्ष की कुल भौगोलिक भूमि 32.9 करोड़ हेक्टर में से 17.5 करोड़ हेक्टेयर (लगभग 50% से ज्यादा) भूमि भू–क्षरण, लवणीयता, जल जमाव, भूस्खलन इत्यादि से समस्याग्रस्त है। जमीन की कम उत्पादकता से देश की ग्रामीण जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकतायें जैसे अनाज, ईधन, चारा, पानी एवं रोजगार की कमी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसलिए जरूरत है जमीन और पानी का समुचित उपयोग। समय की इन मांगों को देखते हुए 80 के दशक में सरकार ने जलागम विकास के नाम पर कई कार्यक्रम चलाये हैं। इन जलागम विकास कार्यक्रम के दो मुख्य उद्धेश्य थेः

1. पानी को पहाड़ से घाटी तक दौड़ने के बजाये चलकर बढ़ने दिया जाए जिससे भू–क्षरण में कमी आए और जमीन में नमी तथा भू–जलस्तर भी बढ़े।
2. फलस्वरूप भूमि में नए जीवन का सृजन होगा जिससे भूमि की उत्पादकता के साथ साथ सम्पूर्ण जैवभार उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

परन्तु 1980 से 1990 के इस सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं प्रयास में लोगों की भूमिका को नकारा गया, परिणाम–असफलता। तब सरकार ने कई स्वयं सेवी संस्थाओं तथ अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे सफल जलागम परियोजनाओं का अध्यन किया और उनकी उपलब्धियों के कारणों की खोज की। सन् 1994–95 में इन्हीं संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श कर

* Debashish Sen, Director, & Amit Chowdhury, Research Scientist, Centre for Participatory Watershed Development, Peoples' Science Institute, Dehra Doon

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जलागम संरक्षण एवं विकास मार्ग–निर्देशिका निकाली।

इसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गया :

- योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन में लोगों की भागीदारी
- संसाधनों के उचित उपयोग से चिरन्तर आत्म निर्भरता
- लाभों के बंटवारा द्वारा गरीब वर्ग का सशक्तिकरण

पूर्व चलित विकास परियोजनाओं की सबसे बड़ी कमी रही है–लाभों का कुछ सीमित लोगों तक ही रह जाना । नये मार्ग–निर्देशिका के अनुसार जलगाम प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, समाज के गरीब और पिछड़े लोगों को समान लाभ दिलाना। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे उदाहरण है जिससे यह साबित हो गया कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर लाभों के बंटवारे की व्यवस्था बनाकर उचित अवसर दिया जाए तो सफलता शत–प्रतिशत निश्चित है। इसी उद्धेश्य पर आधारित कुछ सफल उदाहरणों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिये गये है :

(1) सुखोमाजरीः

सुखोमाजरी हरियाणा में स्थित एक गाँव है। सन् 1976 में चण्डीगढ़ के सुखना तालाब की मिट्टी के अत्याधिक कटाव के कारण उप्तादन क्षमता निरंतर कम होती नजर आई। केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के श्री पी.आर. मिश्रा, सूखना तालाब के मिट्टी के जमाव का कारण ढूंढते हुये सुखोमाजरी गाँव तक पहुँचे और वहाँ के जंगल एवं भूमि कटाव की दूर्दशा को देखकर चिन्तित हुए। बाद में वहाँ के लोगों के सहयोग से उन्होने कई मिट्टी के बांध बनाए जिससे लोगों के चारे तथा अनाज के खेती के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध हुआ तथा लोगों ने जंगल बचाया। इस तरह मिट्टी के कटाव को भी रोका गया। फलस्वरूप भूमि और जल के उचित प्रबंधन से जमीन की उत्पादकता में वृद्धि हुई और लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। पूरे प्रबंध से लाभों के समान बंटवारे के लिए 1979–80 में कुछ नियम एवं व्यवस्था बनाए गये, जो निम्नलिखित हैंः

(1) गाँव के सभी परिवारों को कूपन प्रणाली द्वारा समान रूप से पानी दिया जाता है। जिन परिवारों के पास जमीन कम है या नहीं है वह अपने पानी का हिस्सा दूसरे लोगों को बेच सकते हैं।

(2) ज्यादा पानी वाले फसल जैसे गन्ना, धान ईत्यादि की खेती वर्जित है ताकि ज्यादा जमीन एवं पानी लोगेां को उपलब्ध हो सके।

(3) जो लोग जंगल में खुली चराई करेंगे उनको अपने पानी के हिस्से से वर्जित होना पड़ेगा।

जंगल में उत्पादित भाबर घास से मिल रहे लाभ को भी सभी परिवारों में

समान बंटवारा किया जाता है। अत्यधिक भाबर घास को बेच कर उसका अंश ग्रामकोष में जमा किया जाता है। लाभों के बंटवारा का यह उदाहरण समाज में धनी–गरीब की असामनता को दूर करने का एक जीवित उदाहरण बना।

(2) चक्रीय विकास प्रणालीः

चक्रीय विकास प्रणाली, बिहार राज्य के पलामू जिले के 30 गाँवों में जलागम के अन्तर्गत चलायी गई एक योजना है। 1986 में श्री पी.आर.मिश्रा ने सोसाइटी ऑफ हिल रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से चक्रीय विकास प्रणाली का सफलता पूर्वक शुरूआत किया । चक्रीय विकास प्रणाली का मुख्य उद्धेश्य है बंजर भूमि पर चक्रीय निवेश द्वारा ग्रामीण लोगो, विशेषतः गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना । इस प्रणाली में प्रथम निवेश का लाभ दूसरे निवेश के लिए धन के रूप में प्रयोग किया जाता है ।पूरे लाभ का ३०ःए जो कि गाँव का अंश है, 7–8 साल के बाद भूमि पर पुनर्निवेश कर दिया जाता है । इस तरह नव रोजगार के सृजन और आय अर्जन के पनपने से गरीब लोगों में आत्मनिर्भरता आई ।

इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें ढ़ालदार बंजर भूमि को जमीन मालिकों से जमा कर भूमिहीन एवं सीमांत लोगों को खेती करने का मौका दिया जाता है तथा इस प्रणाली से प्राप्त लाभ (अनाज, ईंधन, चारा, एवं फल) को सब लोगों – जमीन मालिक, जमीन पर काम करने वाले मजदूर तथा ग्राम समाज में बंटा जाता है ।

पूरी प्रणाली से प्राप्त लाभ को 4 भागों में बाँटा जाता है :

- कल्याण कोष में 10% (दूसरे गाँव में कार्य शुरू करने हेतु)
- जमीन मालिक (सरकार या व्यक्तिगत) को 30%
- मजदूरों (भूमिहीन एवं सीमांत लोग) के लिए 30%
- ग्राम समाज के लिये 30% (भूमि पर पुनर्निवेश हेतु)

(3) पानी पंचायत

1972 में महाराष्ट्र के पुरंधर ब्लॉक में सूखा पढ़ने के पश्चात् श्री वी.बी. सालुंखे ने लगभग 50 लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू किया। 1974 से सालुंखेजी ने ग्राम गौरव प्रतिष्ठान ट्रस्ट द्वारा नयगाँव में 16 है. बंजर जमीन को वनीकरण, उद्यानीकरण, मिट्टी बांध, कंटूर बांध आदि द्वारा इस क्षेत्र को पांच साल में सुखा मुक्त करने में सफल हुए। इस प्रयोग के परिणाम से पानी के समान बंटवारे तथा गरीब एवं पिछड़े लोगों को समान हक दिलाने के सिद्धांत निकल कर आये। इस परियोजना में किसी भी लिफ्ट योजना के लाभार्थियों के समूह को पानी पंचायत कहा जाता है। पानी पंचायत के संचालन के नियम निम्नलिखित हैं :

(1) लिफ्ट सिंचाई योजना से मिलने वाले पानी का हिस्सा परिवार में उनके सदस्यों के आधार पर (0.5

एकड़/व्यक्ति) दिया जाता है। पानी मिलने की अधिकतम सीमा 2.5 एकड़ प्रति परिवार है।

(2) जमीन बेची जा सकती है किन्तु पानी का हक नहीं बेचा जा सकता है। यह व्यक्ति के साथ ही रहता है।

(3) ज्यादा पानी वाले फसल जैसे गन्ना आदि नहीं उगा सकते हैं ताकि ज्यादा जमीन सिंचाई के अन्तर्गत आ सके तथा लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

(4) भूमिहिन लोगों को भी पानी का हक है ताकि वे बड़े किसानों के साथ बटायीदार के रूप में रोजगार प्राप्त कर सके।

इस पूरी प्रक्रिया से अधिक जमीन वाले लोगों को अपनी जमीन भूमिहीन या सीमांत लोंगों को देनी पड़ी क्योंकि उनके पास पानी नहीं था और जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन बंटाई पर मिल गई। इस तरह लाभों का हक समान रूप से सबक मिला।

(4) सूखा मुक्ति अभियान

सन् 1993–95 में बिहार राज्य के पलामू जिले में लोक विज्ञान संस्थान, देहरादून ने वहाँ के स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जलागम विकास के आधार पर लगभग 125 गाँवों में सूखा मुक्ति अभियान चलाया। इस पूरे कार्यक्रम में गरीब एवं कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान रखा गया। शुरूआती कार्य के रूप में हर गाँव में ग्रामस्तरीय संगठनों (पानी पंचायत) द्वारा सिंचाई के लिये मिट्टी के बाँध बनाये गये। तदपश्चात् नर्सरी, वृक्षारोपण, भूमि सुधार एवं कुटीर उद्योग के कार्यक्रम भी चलाये गये। वर्षा के पश्चात् बाँध में पानी जमा होने पर विभिन्न पानी पंचायतों से विचारविमर्श करके लाभों के बंटवारे के लिए नियम बनाये गए जो निम्न प्रकार से हैं :

1. सिंचित क्षेत्र में स्थित गैर मजुरवा (आम) जमीन निम्नलिखित तरीकों से बांटी जाती हैः (अ) भूमिहीन सदस्यों में बराबर बांट दी जाती है (ब) भूमिहीन बंटाईदार के रूप में खेती करते हैं (स) भूमिहीन सामूहिक खेती करते हैं।
2. सिंचाई के पानी के बदले में लाभार्थी किसान अनाज का पूर्व निश्चित हिस्सा जमा करते हैं।
3. संग्रहित अन्न का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से होता है (अ) एक हिस्सा ग्राम कोष के नाम पर होता है जिसे या तो बेच कर ग्राम कोष में वृद्धि की जाती है या तो अन्न भण्डार (ग्रेन गोला) के रूप में रहता है। (ब) शेष हिस्सा उन लोगो, जिनकी जमीन एक एकड़ से कम है, उनके बीच श्रमदान के अनुपात में बाँट दिया जाता है। उनका यह हिस्सा जमा करके विपरीत परिस्थितियों में भी मांगने पर दिया जाता है।
4. डूब क्षेत्र में जमीन का अनुपात तय किया जाता है तथा उसी के अनुसार डूब के हिस्से का बंटवारा होता है। डूब क्षेत्र में संसाधनवीहीन/गरीब वर्ग

के समूह द्वारा मछली पालन किया जाता है। उत्पादित मछली का बंटवारा निम्न प्रकार से होता है (अ) एक हिस्सा डूब क्षेत्र के जमीन मालिकों में बांट दिया जाता है। गैर मजुरवा जमीन होने की स्थिति में वह हिस्सा ग्रामकोष का अंग बन जाता है। (ब) एक हिस्सा मछली पालन वाले समूह के सदस्यों का होता है तथा (स) शेष हिस्सा ग्रामकोष में जमा होता है या ग्रामकोष के समस्त सदस्यों के बीच बराबर बांट दिया जाता है।

कई गाँवों में पानी पंचायत के सदस्यों ने उपलब्ध लाभ, जैसे अनाज तथा मछली के बंटवारें का हिस्सा, उपरोक्त तरीकों से सुनिश्चित करने की कोशिश की, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ मिला तथा ग्राम कोष में वृद्धि से गाँव भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा ।

उपसंहार

सरकार ने अपनी कई योजनायें तो गरीबों के लिए बनायी, परन्तु उनकी भागीदारी को पूर्ण रूप से नकार दिया। परिणामतः परियोजना से प्राप्त लाभ कुछ एक लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गई तथा अमीर लोग और अमीर होते गये। आज जरूरत है परियोजनाओं के सम्पूर्ण विकेन्द्रीयकरण, जिसमें समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को परियोजना के हर सीढ़ी पर समान अधिकार मिल सके। समाज में समानता तभी आ सकती है, जब हम लाभों को गरीब वर्ग तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगे।

जलागम प्रबन्धन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं एवं ग्रमीण लोगों को इन सफल उदाहरणों का अध्ययन करना होगा। गरीब वर्ग की जलागम प्रबन्धन योजनाओं में भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब उन तक लाभ पहुँचाने की उचित व्यवस्था हो। इसके लिए योजना बनाते हुए, इन चरणों पर ध्यान देना जरूरी हैः

1- जलागम क्षेत्र के विभिन्न गाँव में गरीब वर्ग की सही पहचान।

2- सफल जलागम कार्यक्रम, विशेषतः लाभों के बंटवारे के सार्थक उदाहरणों का अध्ययन एवं उनकी चर्चा।

3- जलागम कार्यों से होने वाले विभिन्न लाभों का अनुमान लगाना।

4- परियोजना से प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभों के बंटवारे के नियम एवं व्यवस्था, ग्राम समाज के बीच इस तरह से तय करना, जिससे गरीब वर्ग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

भारतवर्ष को समृद्ध और खुशहाल साम्राज्य बनाने के लिये हमें पिछड़े वर्ग को सशक्त करना होगा तथा जलागम प्रबन्धन में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना होगा।